अब कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस एक पक्षीय दिनांक 20/2/18 को पेश हो।

20/2/18 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित बहस एक पक्षीय सुनी गई वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

पत्रावली फौजदारी शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी